

सरकारी जलकर के सुरक्षित जमा निर्धारण का प्रस्ताव
कार्यालय : जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
वर्ष -

1. जलकर का नाम अंचल
ग्राम खाता सं० खेसरा सं०
2. कुल रकबा / जलक्षेत्र (एकड़ में)
3. जलकर की भौतिक स्थिति (मौसमी / सदाबहार) :
4. जलकर की वर्तमान स्थिति:
(बॉध, जंगल इत्यादि)
5. जलकर का प्रकार (बहतर / पोखर / बॉध / जलाशय इत्यादि)
6. जलकर बन्दोबस्ती की अध्यतन स्थिति :
7. जल एवं मिट्टी की उत्पादकता का आकड़ा :
8. जलकार से विगत वर्षों में मछली की औसत :
वार्षिक उत्पादन (किलो में)
9. विगत तीन वर्षों का सुरक्षित वर्ष सुरक्षित जमा बन्दोबस्ती राशि वसूल की गई राशि
जमा बन्दोबस्ती 1.
राशि (वर्षवार) : 2.
3.
10. विगत तीन वर्षों में जलकर के विकास पर किये गये खर्च का ब्यौरा : 1. 2. 3.
11. जलकर की वर्तमान भौतिक स्थिति में अनुमानित वार्षिक उत्पादन (किलोग्राम में)
12. सम्भावित उत्पादन से अनुमानित वार्षिक आय :-
13. सुरक्षित जमा निर्धारण हेतु अनुशंसित राशि :-

अंचल प्रभारी का हस्ताक्षर
अंचल

मत्स्य प्रसार पदाधिकारी की अनुशंसा एवं हस्ताक्षर :-

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची

अंचल प्रभारी श्री : म० पर्य / म०नि० / म०प्र०पदा० के अनुशंसा के आधार पर पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग के परिपत्र सं०-113 मत्स्य / पटना दिनांक 13-01-92 के आलोक में वर्ष के लिए वार्षिक सुरक्षित जमा म० / मत्स्य उत्पादन (किलो में) निर्धारित किया जाता है।

सदस्य-सह-सचिव
जिला, मत्स्य पदा०-सह-
मुख्य कार्यपालक पदा०

सरकार द्वारा
मनोनित सदस्य

सरकार द्वारा
मनोनित मत्स्य जीवी
सहयोग समिति के
प्रतिनिधि।

अध्यक्ष
-सह- उप मत्स्य
निदेशक, राँची